दिनांक 09.11.2017

स्वच्छ भारत अभियान **स्वच्छ एवं सुदर भिलाई**

निगम जनदर्शन में प्राप्त आवेदन का निराकरण शीघ्र करें–आयुक्त

भिलाईनगर/ नगर पालिक निगम, भिलाई के आयुक्त के0एल0 चौहान ने सभी जोनआयुक्त, विभाग प्रमुखों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जनदर्शन, समक्ष भेंट, प्रवास, कलेक्टर जनदर्शन या अन्य माध्यम से प्राप्त पत्रों एवं निगम जनदर्शन में प्राप्त आवेदनों का निराकरण समय सीमा में निराकृत कर इसकी जानकारी आयुक्त कार्यालय को अनिवार्य रुप से उपलब्ध करावें।

निगम आयुक्त श्री चौहान ने कहा कि उक्त माध्यम से प्राप्त होने वाले पत्रों का निराकरण आवेदक को सुनवाई का अवसर देते हुए गुणवत्तापूर्वक निराकरण किया जावे। किन्तु उक्त माध्यम से प्राप्त आवेदनों का निराकरण करने के पश्चात् भी आवेदकों द्वारा पुनः आवेदन लगाया जा रहा है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदकों को समक्ष सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं करते हुए सीधे आवेदन का निराकरण कर दिया जा रहा है। आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन का निराकरण कर इसकी सूचना भी संबंधित आवेदकों को प्रेषित नहीं की जा रही है इस अव्यवस्था के कारण आवेदकों के द्वारा बार–बार उन्ही समस्याओं से संबंधित आवेदन पुनः प्रस्तुत किये जा रहें हैं।

समस्त जोन के आयुक्त एवं विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया जाता है कि ऐसे माध्यमों से प्राप्त पत्र एवं निगम जनदर्शन में प्राप्त आवेदनों को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर आवेदको को उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन के निराकरण के संबंध में आवेदकों की उपस्थिति सुनिश्चित कर सुनवाई करें एवं गुणवत्तापूर्वक निराकरण करते हुए संबंधित आवेदन के संबंध में सूचना लिखित में आवेदकों को उपलब्ध करावे, उक्त आदेश के बाद भी आप लोगों के द्वारा संबंधित आवेदनों पर दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित नहीं करने पर सीधे विभाग प्रमुखों एवं जोन के आयुक्त के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

जनसम्पर्क अधिकारी
नगर पालिक निगम भिलाई